

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.7(1).Training/ ICDS /2015/ 98171-179

जयपुर, दिनांक:

1-6-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
बांसवाडा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़
झुंझुनू, सवाईमाधौपुर, सीकर एवं टोंक ।

विषय:- कार्य प्रशिक्षण हेतु नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक 43512-545 दिनांक 21.03.2018, एवं 54150-183 दिनांक 09.04.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में बाल विकास परियोजनाओं में नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सूचना शीघ्र निदेशालय को भिजवायें ताकि कार्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सत्र आवंटित किये जा सके।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर, दिनांक: 1-6-18

क्रमांक: एफ.7(1).Training/ ICDS /2015/ 98180-191

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, को भेजकर लेख है कि चांही गई सूचना समय अनुसार भिजवावें ।
2. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।